श्री बलराम जाखड़ : शुक्र है बेटा नहीं हुआ, बेटी है . . . (व्यवधान) मैं सारा बंदोबस्त इस हिसाब से करना चाहता हूं कि इन इंडस्ट्रीज पर जोर दिया जाए और इसीलिए दो मिनिस्ट्रियां बनाई गई हैं जिससे कि इस काम को हम बढ़ावा दे सकें और आने वाले जमाने में एक नया डाईवर्सिफिकेशन करें। वरना किसान के पास पैसा नहीं जाता है। उसकी जेब में पैसा जाना जरूरी है ।

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Centenary celebration of Telugu play "KANYASULKAM"

*63. SHRI P. UPENDRA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the centenary of a great social play in Telugu "Kanyasulkam" by the immortal poet Gurujada Appa Rao was observed recently in Andhra Pradesh; and

(b) if so, whether the Central Government have recognised the event and what action has been taken in this respect ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government celebrates the birth centenaries and jubilee years of outstanding personalities and national events like Quit India Movement. There is no procedure by which Government of India can 'recognise' any event.

Import of wheat

*66. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what is the purchase rate and total cost of imported wheat;

(b) whether it is a fact that wheat could have been procurred internally at a cheaper rate even by providing remunerative prices to the farmers of the country; and

(c) if so, the reasons for not procuring wheat internally ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) :

(a) The FOB cost of wheat for whichcontracts have been signed is as under :—

Country of origin	Quantity (in lakh tonnes)	FOB cost (in US$ PMT)	
Canada	10.05	147.78	(Average)
Australia	5.00	137.50	
Australia . . .	5.00	135.00	
U.S.A.	9.85	110.50	Oct-Dec.'92 shipment
		112.50	Jan-March'93 shipment

The total CIF cost of 29.90 lakh tonnes of wheat being imported from Canada, Australia and U.S.A. is estimated to be US $ 497.94 million or Rs. 1294 crores. This includes ocean freight and insurance charges. Foreign exchange outgo on ocean freight will get reduced to the extent Indian ships are used.

(b) and (c) The procurement price of wheat of Rs. 280/- per quintal (comprising of the minimum support price of Rs. 250/-, Central incentive bonus of Rs. 25/- and State bonus of Rs. 5/- per quintal paid in Punjab, Haryana and Rajasthan) paid to the farmers for procurement of wheat during the current 1992-93 rabi

marketing season was remunerative and fully covered the cost of production and also provided reasonable return to the farmers. Even after excluding the State bonus of Rs. 5/- per quintal, the increase in the procurement price for the 1992-93 rabi season was 22.22% over the minimum support price of the 1991-92 rabi season. Hence Government had ensured that remunerative prices were paid to farmers.

Apart from 6.4 million tonnes of wheat procured this year for the Central Pool at the above prices, Government has not deemed it desirable to purchase any additional quantity within the country at a higher price because such a step would not have increased the total quantity of wheat but would only have contributed to sharp rise in the open market price of wheat and caused serious hardship to consumers particularly the poorer sections.

राजस्थान में पुराने स्मारकों और मूर्तियों का संरक्षण

*67. **श्री शिवचरण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजपूत काल के पूर्व ऐतिहासिक स्थलों, किलों और स्मारकों के संरक्षण/सुधार के लिए राज्य-वार क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) हाड़ोती, मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान के अन्य स्थानों यथा करौली, धौलपुर क्षेत्रों, विशेष रूप से बयाना, आगरी और तिमनगढ़ स्थित पुराने स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या सरकार का इन स्थानों की मूर्तियों, जिन्हें चुरा कर अन्य देशों में ले जाया जा रहा है, की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अपने 16 मंडलों, 2 लघु मंडलों, रासायनिक शाखा और उद्यान शाखा के जरिए भारत के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राष्ट्रीय महत्व के घोषित ऐतिहासिक स्थानों, किलों और स्मारकों, जिनमें राजपूत काल के पूर्व के भी शामिल हैं, की सुरक्षा/परिरक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जाती है ।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाड़ोती, मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान के अन्य भागों, जो भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में शामिल हैं, के राष्ट्रीय महत्व के 64 स्मारक/स्थलों को संरक्षण प्रदान किया गया है । प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार आगरी और तिमनगढ़ स्थित स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा खुली-बिखरी मूर्तियों को चोरी और तस्करी से बचाने एवं रोकने के लिए पहले ही जो कदम उठाए गए हैं, वे सभा-पटल पर रखे विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से मूर्तियों की चोरी और तस्करी से बचाने और रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को लागू करना, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

(i) कुछ श्रेणियों की पुरा-वस्तुओं (सभी तरह की मूर्तियां, कलाचित्र सचित्रित और सजावटी पांडुलिपियां) का पंजीकरण अधिकारियों के पास अनिवार्य रूप से कराना;

(ii) इस प्रकार का पंजीकृत पुरा-वस्तुओं के लाने-ले जाने के बारे में पंजीकरण अधिकारियों को अवगत कराना;

(iii) पुरा-वस्तुओं के व्यापार को लाइसेंस-प्राप्त व्यापारियों तक सीमित रखना;

(iv) पुरा-वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना;

(v) कुछ मंडल मुख्यालयों में पहरा और निगरानी प्रबंधों का सुदृढ़ीकरण तथा